राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–713/2017 व 714/2017/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रेडिएन्ट एनोडाइजर्स प्रा.लि.,
अनिता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री विक्रम गोगरा
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.06.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–राजस्व द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा क्रमशः अपील संख्या 155 एवं 156/अपील्स–I/आरवैट/2016–17 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 16.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होनें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) अन्तर्गत पारित पृथक–पृथक आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपास्त किया गया है।

2. उपरोक्त दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने एवं एक ही व्यवहारी से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है, निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. उपरोक्त दोनों प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 20.04.2016 को सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन संख्या HR47A-B7053 व HR47A-4300 को राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर होटल टयूलिप के पास जांच हेतु रोक कर माल से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा पृथक–पृथक स्टोर ट्रांसफर चालान पेश किये तथा माल एल्यूमिनियम सेक्शन का परिवहन गुडगॉवा से सोतानाला बहरोड के लिये किया जाना जाहिर किया गया। वक्त जांच अन्य कोई दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी, वैट घोषणा प्रपत्र 47ए पेश नहीं किये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल बिना वैट घोषणा प्रपत्र 47ए के राज्य में लाये जाने को करापवंचन मानते हुए दोनों वाहनों का निरूद्ध कर प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे अस्वीकार कर सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(6) के तहत दोनों वाहनों में परिवहनित माल पर पृथक–पृथक शास्ति क्रमशः रूपये 3,51,938/– एवं 4,30,763/– आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष

लगातार.....2

अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने दोनों अपीलें स्वीकार कर, कायम शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त संयुक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपीलें पेश की गई है।

4. अपीलार्थी–राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5.. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा गुडगॉव स्थित मै. बैस्टेक इण्डिया प्रा.लि. से एल्यूमिनियम सेक्शन जॉब वर्क के लिये मंगाया जाता है, एवं जॉब वर्क से प्राप्त राशि पर सेवा कर का भुगतान किया जा रहा है। जॉब वर्क से संबंधित रिकॉर्ड भी पत्रावली में उपलब्ध है। उन्होने अपने कथन को जारी रखते हुए कहा कि विभागीय आदेश क्रमांक F.16(5)Tax/CCT/99-2000/1924 दिनांक 17.11.2000 के अनुसार जॉब वर्क के लिये माल मंगाये जाने के लिये वक्त परिवहन घोषणा प्रपत्र वैट 47ए की अनिवार्यता नहीं है। इस आधार पर उन्होंने सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को अविधिक एंव अनुचित बताते हुए अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभय पक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल का परिवहन किया जा रहा था, जो कि जॉब वर्क से संबंधित था। सशक्त अधिकारी द्वारा कही भी यह सिद्ध नहीं किया गया कि माल ब्रांच/स्टॉक ट्रांसफर के रूप में आयात किया गया था। साथ ही विभागीय आदेश क्रमांक F.16(5)Tax/CCT/99-2000/1924 दिनांक 17.11.2000 के अनुसार जॉब वर्क के लिये माल मंगाये जाने के लिये वक्त परिवहन घोषणा प्रपत्र वैट 47ए की अनिवार्यता नहीं है। जॉब वर्क से संबंधित रिकॉर्ड व भुगतान भी जॉब वर्क को प्रमाणित करते है। अपीलीय अधिकारी ने समस्त तथ्यों को मध्यनजर रख विस्तृत विवेचना करते हुए निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. फलतः अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के संयुक्त आदेश दिनांक 16.11.2016 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

8/6/19

(खेमराज)
अध्यक्ष